

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, धोद जिला - सीकर

सामिलाल बनाम बिट्टाराम

किस्म मुकदमा दावा (88,188) पृ.नं. 17 वर्ष 2025

दिनांक	आज्ञा - पत्र
16 ⁰⁶ / ₂₅	<p>वकील वादी द्वारा न्यायालय में पेश किया गया। रिपोर्ट न्यायालय हाजा ली गई। दावा दर्ज रजिस्टर हो। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन से तलब कर पत्रावली नियत तिथि 09.07.2025 को पेश हो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी धोद जिला सीकर</p>
9/9/25	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील वादी (व) पत्रावली वाले तलबी प्रति जरिये डिफेंडिमेंट 14/8/25 को पेश हो।</p>
12 ⁰⁸ / ₂₅	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप. पत्रावली वाले तलबी प्रति. जरिये डिफेंडिमेंट 17⁰⁹/₂₅ का पेश हो।</p>
9/9/25	<p>पत्रावली में वकील वादी जरिये के कोर्ट के बावत रिप्लाय तलबी पेश होये पर वकील के ली गई। वकील वादी उपलब्ध तलबी एवं उपलब्ध होकर नॉट प्रस का केकन कर पत्रावली को कोरे न चलाकर रूपादि कोरे का विरुद्ध वकील जरिये न जरिये। वकील के लुका पत्रावली का उपलब्ध डिफेंडिमेंट वकील वादी व वकील वकील के विरुद्ध पर गुतादिफेंडिमेंट नॉट प्रस के केकन के पत्रावली ली तलब पर डिफेंडिमेंट को कोरे डिफेंडिमेंट को पत्रावली केवल उप. होकर न तलबी डिफेंडिमेंट हो।</p> <p>उपखण्ड अधिकारी धोद जिला-सीकर</p>

श्री. Mate prem
बिनाम
Signature
Ammar

